ज्ञाप

विदित हैं कि महिलाओं को प्रदेश में सुरक्षित महसूस कराने के लिए महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों को जन सामान्य द्वारा रिपोर्ट करने की सुविधा हेतु एवं पुलिस को उक्त रिपोर्ट पर कार्यवाही हेतु उत्तरदायी बनाने विषयक कार्यवाही में उत्तर प्रदेश पुलिस की बेवसाइट https://uppolice.gov.in/ पर Report Crime Against Women नाम से लिंक सिटीजन सर्विसेज में मुख्य पेज पर प्रदर्शित हो रहा है।

इस अनुभाग को अधिक उत्तरदायी बनाने हेतु इसकी निरंतर मॉनिटरिंग मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्तर से की जायेगी। इस अनुभाग में व्यवस्था की गई है कि सम्बन्धित जनपद वेबसाइट पर प्रत्येक दिवस की अपलोडेड शिकायत को डाउनलोड करके प्राप्त करेंगे एवं इस शिकायत पर कार्यवाही करेंगे। कार्यवाही रिपोर्ट अपने जनपद के पुलिस वेबसाइट के प्रशिक्षित नोडल अधिकारी से समय से वेबसाइट पर अपलोड करायेंगे।

इसके लिए आवश्यक होगा कि प्रत्येक जनपद स्तर पर एक राजपत्रित अधिकारी को पुलिस वेबसाइट पर अपलोडेड सूचनायें प्राप्त करने का उत्तरदायित्व दिया जाये। जहॉ तक सम्भव हो इस कार्य हेतु महिला राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त किया जाये। उक्त अधिकारी प्रदर्शित सूचना हेतु निरंतर वेबसाइट पर अपने जनपद से सम्बन्धित शिकायत को चेक करायेंगे एवं शीघ्र कार्यवाही कराने के उपरान्त कार्यवाही रिपोर्ट उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड करायेंगे।

उक्त वेबसाइट के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु Report Crime Against Women लिंक के साथ स्टेन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) सुविधा के लिए तैयार किया गया है, जिससे बिना किसी विरोधाभास के कार्यवाही करते हुए वेबसाइट पर सूचना अपलोड की जा सकेगी।

उक्त सम्बन्ध में एक्शन टेकेन रिपोर्ट अपलोड कराने से पूर्व यह विशेष ध्यान रखा जाये कि शिकायतकर्ता अथवा एक्यूज्ड किसी की जानकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित न हो।

उक्त कार्य में जनपदीय प्रभारी पुलिस अधीक्षक विशिष्ट रूचि लेते हुए साप्ताहिक समीक्षा करेंगे तथा कार्यवाही की रिपोर्ट पाक्षिक रूप में प्रेषित करेंगे, जिसकी समीक्षा मेरे द्वारा की जायेगी।

Report Crime Against Women नामक लिंक का यथोचित प्रचार-प्रसार करायें ताकि महिलाओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने में सहायता मिल सकेगी।

उपरोक्त लिंक के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपद में नोडल/सहायक जोनल अधिकारी तथा वेबसाइट नोडल अधिकारी नियुक्त किये जायें, उनका विवरण निम्नांकित प्रारूप में 03 दिवस के अन्दर परिक्षेत्रीय कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेः-

क्र0सं0	नोडल/सहायक/ वेबसाइट नोडल अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष/ मोबाइल नम्बर

उक्त सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अर्द्धशासकीय परिपत्र संख्या 24/2014 दिनांकित 09.4.2014 एवं पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, लखनऊ के पत्र संख्या टीएससी-29/2014 दिनांकित 02.04.2014 के द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

परिक्षेत्र स्तर पर उक्त कार्य के निष्पादन हेतु निम्नांकित कर्मियों को नियुक्त किया जाता है:-

क्र0सं0	नाम	पद	दूरभाष संख्या
1	श्री सुल्तान सिंह	उ0नि0/ प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ (नोडल अधिकारी)	9454402583 9415662503
2	श्री नीरज सिंह राजपूत	आरक्षी/वेबसाइट नोडल अधिकारी	8172847364

उक्त क्रम में जनपद स्तर पर की गयी कार्यवाही की परिक्षेत्र स्तर पर समीक्षा हेतु निम्नांकित 02 प्रारूपों में सूचना पाक्षिक रूप में प्रत्येक माह की 02 व 16 तारीख को नियमित रूप से इस कार्यालय के ईमेल readerdigrangeald@gmail.com पर एवं हार्डकापी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे:-

<u>प्रारूप-1. पक्ष में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की स्थिति:-</u>

क्र0 सं0	जनपद	कम्पलेंट आईडी नम्बर	कम्पलेंट अपलोड की तिथि	आवेदक/ आवेदिका का नाम व पता	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	कार्यवाही का विवरण	कार्यवाही का दिनांक	आवेदक/ आवेदिका कार्यवाही से संतुष्ट है अथवा नहीं।	यदि नहीं तो अग्रिम कार्यवाही क्या की गयी, स्पष्ट किया जाये

<u>प्रारूप-2. प्राप्त समस्त प्रार्थना-पत्रों की स्थिति:-</u>

जनपद	पक्ष के प्रारम्भ में लम्बित प्रकरणों की संख्या	पक्ष में प्राप्त प्रकरण	कुल योग	पक्ष में निस्तारित प्रकरणों की संख्या	पक्ष के अन्त में लम्बित प्रकरणों की संख्या

26/4

(भगवान स्वरूप)
पुलिस उपमहानिरीक्षक
इलाहाबाद परिक्षेत्र,इलाहाबाद

अशा0पत्रांक:सीओए/आर-निर्देश(सी0ए0डब्लू0)/2014
दिनांक : इलाहाबाद : अप्रैल , 2014

<u>प्रतिलिपि</u>:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद जोन, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद इलाहाबाद।
3. पुलिस अधीक्षक जनपद कौशाम्बी/फतेहपुर/प्रतापगढ़।
4. वाचक/प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ, परिक्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद।